संख्याक–01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 822/ 2019

1 रणदीपसिंह वल्द किरणपालसिंह वल्द महेन्द्रसिंह कोम जट सिख साकिन खेरूवाला त. सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।

2 संदीपसिंह वल्द मोहनसिंह वल्द महेन्द्रसिंह कोम जट सिख साकिन खेरूवाला त. सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।

– वादीगण–

बनाम

1 महैन्द्रसिंह वल्द खेतासिंह कोम जट सिख साकिन खेरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।

2 मोहनसिंह वल्द महैन्द्रसिंह कोम जट सिख साकिन खेरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।

3 किरणपालसिंह वल्द महैन्द्रसिंह कोम जट सिख साकिन खेरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।

4 बलवीरकौर पत्नी महैन्द्रसिंह कोम जट सिख साकिन खेरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।

5 जसवीरकौर सिधु पुत्री महैन्द्रसिंह पत्नी अजायबसिंह कोम जट सिख साकिननथाणा तहसील व जिला भटिण्डा –पंजाब ।

6 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सादुलशहर ।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्तू इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री चिमनलाल दुआ वकील वादीगण मिन जामिन मुद्दई श्री त्रिलोकचन्द चायल वकील प्रतिवादीगण मिकन जानिब मुद्दायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण एवं काउण्टर क्लैम प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकार डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार राजस्व को आदेशित किया जाता है कि चक 20 पी टी पी जमाबदी सम्वत 2072–2075 खाता संख्या 79/152 मे दर्ज कुल खाता 18.628 है. नहरी मय गै.मु. आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 9.187 हैक्टैयर आराजी मे से वादी संख्या 1 रणदीपसिंह को 1/2 हिस्सा यानि 4.593 है. आराजी का एव वादी संख्या 2 संदीपसिंह 1/2 हिस्सा 4.594 है. आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानुसार ही वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे । बसख्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 10/7/2020 को जारी किया जाता है ।

10/7/2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.08.25 10:56:49 IST
Reason: SelfAttested